पत्रांकः: जी.एस.टी. अनुभाग/2020–21/End Use Certificate/2021010/168 /वाणिज्य कर

प्रेषक,

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कॉर्पोरेट सर्किल), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक: 04 अगस्त, 2020

विषयः– राज्य कर प्रशासन के अधिकारियों के स्तर से Imported Goods के सन्दर्भ में "End Use Certificate" जारी किये जाने विषयक।

महोदय,

मुख्यालय के पत्र सं0– विधि–4/2019–20/श्री राम प्रकाश ज्वा0कमि0(कॉर्पो0)मु0न0/201/ वाणिज्य कर दिनांक 01 अगस्त, 2019 से उक्त सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् संसूचित की गयी थी–

"कई राज्यों की ओर से यह प्रकरण जी0एस0टी0 काउंसिल द्वारा गठित "लॉ कमेटी" को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जाने हेतु संदर्भित किया गया है तथा "लॉ कमेटी" के समक्ष विचाराधीन है। उक्त वर्णित परिस्थितियों में राज्य कर प्रशासन के अधिकारियों के स्तर से Imported Goods के सन्दर्भ में "End Use Certificate" जारी किये जाने के सम्बन्ध में लॉ कमेटी/जी0आई0सी अथवा जी0एस0टी0 काउंसिल जैसे सक्षम स्तर से विस्तृत दिशा–निर्देश जारी होने की प्रतीक्षा किया जाना औचित्यपूर्ण होगा।"

प्रकरण में गत कुछ दिनों में निम्न तथ्य मुख्यालय के संज्ञान में लाये गए हैं–

1. कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों द्वारा दूरभाष पर यह अवगत कराया गया है कि विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा कुछ इकाईयों को "End Use Certificate" जारी किये गए हैं।
2. ज्वाइन्ट कमिश्नर (कॉर्पोरेट सर्किल), वाणिज्य कर, सहारनपुर जोन मुख्यालय मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या–54/ज्वा0कमि0(कॉर्पो0सर्किल)वा0क0/मु0नगर/19–20 दिनांक 24.06.2020 द्वारा यह तथ्य अंकित करते हुए कि उनके अधिक्षेत्र के पेपर निर्माता व्यापारियों द्वारा बार–बार एण्ड यूज़ सर्टिफिकेट जारी कराने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जा रहे हैं, प्रकरण में दिशा–निर्देश जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

तत्सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि, प्रकरण अभी भी लॉ कमेटी के समक्ष विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से प्रकरण पर शीघ्र विचार हेतु लॉ कमेटी को ई–मेल प्रेषित की गयी है। जी0एस0टी0 काउंसिल/जी0आई0सी0/लॉ कमेटी से कोई निर्णय प्राप्त होने के उपरान्त तदनुरूप अवगत ~~कराया~~ कराया जाएगा।

कृपया तदनुरूप अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।